श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी / 11 / 2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।

2022/35

प्रार्थी बलविन्द्र सिंह पुत्र रूप सिंह उर्फ जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलांवाली तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र,वारिसनामा, मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री रूप सिंह उर्फ जगरूप सिंह पुत्र विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी खाराचक किलांवाली तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 04.05.2018 को एक बंद वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 30.06.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 04.05.2018 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान कुलदीप सिंह पुत्र जोरा सिंह एवं नक्षत्र सिंह पुत्र करनेल सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री सतपाल सिंह ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।
पत्रावली अवलोकनार्थ / आदेशार्थ प्रस्तुत है।

10/1/22

जिला पंजीयक महोदय

10/1/22